प्रेस विज्ञप्ति

20.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 13.06.2025 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई, गाजियाबाद की अदालत के समक्ष आरोपी कंपनी अर्थात मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) व इसके प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी के तथ्यों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, माननीय न्यायालय ने 18.08.2025 को आरोपियों अर्थात् 1) मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड और 2) अनिल मिठास, मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड के प्रमोटर के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3/4 के तहत पीसी का सहर्ष संज्ञान लिया।

ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास और मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उप्र पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स यूएफएचएल के प्रमोटर अनिल मिठास द्वारा अपराध अवधि अर्थात 2011 से 2019 के दौरान इक्विटी निवेश, वरीयता शेयरों में निवेश, डिबेंचर/बॉन्ड और संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम जैसी धन शोधन की विभिन्न अतरंगी युक्तिओं के माध्यम से लगभग 126.30 करोड़ रुपये के होमबॉयर्स फंड का विपथन किया गया है। उक्त धनराशि को प्रोजेक्ट निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में घर-खरीददारों से एकत्र किया गया था। मेसर्स यूएफएचएल के फंड का ये विपथन/साइफन परियोजना के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण रहा है, जिससे परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाईं और घर-खरीददारों/निवेशकों के फंड का दुरुपयोग हुआ, जिससे वित्तीय संस्थानों और घर-खरीददारों को भारी नुकसान हुआ और मेसर्स यूएफएचएल के निदेशकों और प्रमोटरों को अनुचित लाभ हुआ।

जाँच के दौरान, कंपनी के मुख्य प्रमोटर और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति, अनिल मिठास को 16.04.2025 को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में, वह न्यायिक हिरासत में है। 17.04.2025 को मेसर्स यूएफएचएल और उसकी संबंधित संस्थाओं/निदेशकों/प्रमोटरों आदि के दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी भी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप अनेक अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई।

11.06.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें मेसर्स यूएफएचएल और उनकी संबद्ध संस्थाओं के तत्कालीन निदेशकों/प्रमोटरों की 25.94 करोड़ रुपये मूल्य की 01 चल और 12 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था।

आगे की जांच जारी है।